# MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

## AND

# THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM

### ON

## COOPERATION IN YOUTH AND SPORTS AFFAIRS

The Government of The Republic of India, represented by the Ministry of Youth Affairs and Sports and The Government of His Majesty The Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam, represented by the Ministry of Culture, Youth and Sports, and, (hereinafter individually referred to as the 'Participant' and collectively as the 'Participants');

Inspired by desire to promote and strengthen existing friendly relations and cooperation in the field of youth and sports affairs; Have reached the following understanding:

### Paragraph 1: General Objective

The Memorandum of Understanding will provide the framework within which detailed proposals for programmes of cooperation between the Participants in the field of sports and youth affairs and excellence are to be jointly considered on the basis of reciprocity and mutual benefit.

The Participants will endeavor to encourage and facilitate, as appropriate, the advancement of linkages and cooperation between and through the sports and youth agencies of the respective Government and the conclusion of arrangements for conducting cooperative activities and programmes in sports.

# Paragraph 2: Areas of Co-operation

1. Each Participant will, subject to the laws, rules, procedures, regulations and national policies from time to time in force, governing the subject matter in their respective countries, endeavor to take necessary steps to encourage and promote co-operation in the field of youth and sports.

2. The co-operation referred to the paragraph 1 may include, upon mutual consent and taking into consideration the experience to be gained and benefits to be derived there from, and subject to the availability of funds and resources, co-operation in the following activities:

- a) Exchange programmes in the fields of youth and sports;
- b) Exchange programmes for the training of officers and trainers;
- c) Promotion of sports between the Participants with respect to the following scope:

i. Sports facilities;

78

Ś

- ii. Sports equipment;
- iii. Sports training and physical preparation;
- iv. Sports, fitness and physical education;
- v. Coaching;
- vi. Sports talent identification;
- vii. Sports management and administration;
- viii. Information system relating to youth and sports;
- ix. Science and technology development in sports; and
- x. Development and enhancement of information in sports.
- d) The exchange of information in the field of youth affairs; and
- e) Any other activities of co-operation in the field of youth and sports as may be mutually decided upon by the Participants.

## Paragraph 3: Financial Arrangements

The financial arrangements to cover the expenses for the co-operative activities undertaken within the framework of this Memorandum of Understanding will be mutually decided upon by the respective Participants on a case by case basis subject to the availability of funds.

## Paragraph 4: Implementation

- 28 - - - 3

S.

The Participants will make arrangements for the implementation and development of specific programmes under this Memorandum of Understanding through meetings, exchanges of letters or other instruments. Each Participant will be responsible for coordinating the implementation of its side of plans/ programmes. Such specific arrangements will cover the subject of cooperation, procedures, treatment of intellectual property, funding and other areas as determined by the Participants.

### Paragraph 5: Amendments

This Memorandum of Understanding may be amended by mutual consent in writing between the Participants.

#### Paragraph 6: Settlement of Disputes

Any dispute or differences between the Participants arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by mutual consultation and negotiation.

### Paragraph 7: Effect and Termination

This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of its signing and shall remain in effect for a period of three years. Upon its expiry, the Memorandum of Understanding may be renewed for successive periods of three (3) years by mutual written consent of the Participants. The Memorandum of Understanding may be terminated by either Participant by giving six months written notice to the other Participant in advance. If this Memorandum of Understanding is terminated, any arrangements concluded under it will, subject to the mutual determination of both the Participants, remain effective until any activities pursuant to such arrangements have been carried out to their completion.

IN WITNESS WHEREOF THE UNDERSIGNED BEING DULY AUTHORISED BY THEIR RESPECTIVE GOVERNMENTS HAVE SIGNED THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Signed at *Bandar Seri Begawan* on *2 of February 2016* in two originals each in Hindi and English languages, both texts herein being equally authentic and valid. However, in case of doubt regarding interpretation, the English text shall prevail.

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

(Anil Wadhwa)

Secretary (East), Ministry of External Affairs, Republic of India FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM (Dato Padu<del>ka Dr Haji Affe</del>ndy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin)

Permanent Secretary, Ministry of Culture, Youth and Sports, Brunei Darussalam

# भारत गणतंत्र की सरकार

 $\mathcal{E}$ 

A

## और

# ब्रूनेई दारुस्सलाम के महामहिम सुल्तान व यंग डी-पर्तुआन

## की सरकार के बीच

# युवा और खेल कार्यक्रम के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

भारत गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा महामहिम सुल्तान और यांग डि-पेरत्वान ऑफ ब्रुनेई दारूस्सलाम की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में संस्कृति, युवा और खेल मंत्रालय (जिन्हें इसके बाद 'प्रतिभागी' तथा संयुक्त रूप से 'प्रतिभागियों' के रूप में संदर्भित किया गया है) , ने युवा और खेल कार्यक्रम के क्षेत्र में विद्यमान मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ करने की भावना से प्रेरित होकर, निम्नलिखित समझौता किया है:

### पैराग्राफ 1: सामान्य उद्देश्य

यह समझौता ज्ञापन ऐसी रूपरेखा प्रदान करेगा जिसके अंतर्गत खेल और युवा कार्यक्रम तथा उत्कृष्टता के क्षेत्र में प्रतिभागियों के बीच सहयोग के कार्यक्रमों से संबंधित विस्तृत प्रस्तावों पर पारस्परिकता तथा आपसी लाभ के आधार पर संयुक्त रूप से विचार किया जाएगा ।

दोनों प्रतिभागी संबंधित अपनी-अपनी सरकार की खेल और युवा एजेंसियों के बीच और उनके माध्यम से संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने तथा खेलों में सहयोगात्मक कार्यकलापों और कार्यक्रमों के आयोजन के लिए इंतजामों के निष्पादन को प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने के लिए यथा उपयुक्त भरसक प्रयास करेंगे।

#### पैराग्राफ 2: सहयोग के क्षेत्र

- प्रत्येक प्रतिभागी संबंधित अपने-अपने देशों में इस विषय-वस्तु को शासित करने वाले समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा राष्ट्रीय नीतियों के अध्यधीन युवा और खेल के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भरसक प्रयास करेंगे।
- पैराग्राफ 1 में संदर्भित सहयोग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलापों में आपसी सहमति के आधार पर तथा इससे प्राप्त होने वाले अन्भव तथा उत्पन्न होने वाले

लाभों को ध्यान में रखते हुए और निधियों तथा संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन सहयोग शामिल है:

क) युवा और खेल के क्षेत्र में आदान-प्रदान कार्यक्रम; .

ख) अधिकारियों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रम;

ग) निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्रतिभागियों के बीच खेलों का संवर्धन:-

- (i) खेल स्विधाएं;
- (ii) खेल उपस्कर;
- (iii) खेल प्रशिक्षण और शारीरिक तैयारी;
- (iv) खेल, स्वस्थता और शारीरिक शिक्षा;
- (v) कोचिंग;

1.25

(200)

A. Correction

With the Way of the second second

- (vi) खेल प्रतिभा पहचान;
- (vii) खेल प्रबंधन और प्रशासन;
- (viii) युवा और खेलों से संबंधित सूचना पद्धति;
- (ix) खेलों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास; और
- (x) खेलों में सूचना का विकास और वृद्धि;
- घ) युवा कार्यक्रम के क्षेत्र में सूचना का आदान-प्रदान; और
- ङ) प्रतिभागियों द्वारा आपसी सहमति से युवा और खेल के क्षेत्र में सहयोग के कोई अन्य कार्यकलाप।

## पैराग्राफ 3: वित्तीय इंतजाम

इस समझौता ज्ञापन की रूपरेखा के अंतर्गत निष्पादित सहयोगात्मक कार्यकलापों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय इंतजाम संबंधित प्रतिभागियों द्वारा आपसी सहमति से निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन मामला दर मामला आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

#### पैराग्राफ 4: कार्यान्वयन

प्रतिभागी बैठकों, पत्रों या अन्य लिखतों के आदान-प्रदान के माध्यम से इस समझौता जापन के अंतर्गत विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और विकास का इंतजाम करेंगे। प्रत्येक प्रतिभागी अपनी-अपनी योजनाओं/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी होगा। इन विशिष्ट इंतजामों के अंतर्गत सहयोग, कार्यविधियों, बौद्धिक संपदा के बंदोबस्त, निधियन के विषय तथा प्रतिभागियों द्वारा यथा निर्धारित अन्य क्षेत्र होंगे।

### पैराग्राफ 5: संशोधन

यह समझौता ज्ञापन प्रतिभागियों के बीच लिखित में आपसी सहमति से संशोधित किया जा सकता है।

## पैराग्राफ 6: विवाद समाधान

प्रतिभागियों के बीच इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या या कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मतभेदों पर हुए किसी भी विवाद को आपसी परामर्श या वार्ता से शान्तिपूर्वक सुलझा लिया जाएगा।

## पैराग्राफ 7: प्रभाव में आना और पर्यावसान

यह समझौता ज्ञापन इसके हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभाव में आएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभाव में रहेगा। इसकी समाप्ति पर, इस समझौता ज्ञापन को प्रतिभागियों की आपसी सहमति से अगले तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है। यह समझौता ज्ञापन किसी भी प्रतिभागी द्वारा दूसरे पक्ष को छह महीने का लिखित अग्रिम नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। यदि इस समझौता ज्ञापन को समाप्त किया जाता है, इसके अंतर्गत दोनों प्रतिभागियों की आपसी सहमति के अध्यधीन की गई कोई भी व्यवस्था इन व्यवस्थाओं के अनुसरण में किए जाने वाले किन्हीं कार्यकलापों के पूरा किए जाने तक प्रभावी रहेंगे । संबंधित सरकारों द्वारा इसके साक्षी के रूप में विधिवत रूप से प्राधिकृत किए जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

the last appear.

बन्दर सेरी बेगावन (स्थान) में 2 फरवरी (दिनांक) वर्ष, 2016 को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक में दो मूल पाठों में हस्ताक्षरित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक और वैध। तथापि, व्याख्या के संबंध में कोई संदेह होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा। भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

84

「「「「「「」」」

बूनई दारूस्सलाम के महामहिम सुल्तान और येंग डी-परतुआन की सरकार की ओर से

nud

(अनिल वाधवा)

सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य

 $\cdot h$ 

(दातो पादुका डॉ हाजी अफेंडी बिन पेहिन ओरंग काया सैफुल मुलोक दातो सेरी पादुका हाजी अबिदीन) स्थायी सचिव, संस्कृति, युवा और खेल मंत्रालय, ब्रूनई दारूस्सलाम